न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति रीना छिम्पा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 3/2019

1. मनिन्द्रसिंह पुत्र सुखदेव सिह जाति जटसिख निवासी पुरानी आवादी श्रीगंगानगर।
2. प्रकाश कौर पत्नी सुखदेव सिह जाति जटसिख निवासी पुरानी आवादी श्रीगंगानगर।

--प्रार्थी--

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर।

--अप्रार्थी--

अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए

--निर्णय-- दिनांक : 15/1/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 28 एफ की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 66/63 के मु0 नं0 20 के किला नं0 5 मे 2-2 बिस्वा भूमि अपने हिस्से के अनुसार सरकारी रास्ता करवाना चाहते है इस पर हम सहमत है। मौका पर रास्ता चालू है। किसी अदालत का स्थगन आदेश एवं कब्जा के बावत कोई विवाद नही है। अतः मु0 नं0 20 के किला नं0 1 ता 5 मे दो-दो बिस्वा अर्थात 0.126 हैक्टर भूमि हिस्सा के अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जावे।

प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ नक्शा चक 28 एफ की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 66/63 के मु0 नं0 14,20 तथा खाता संख्या 46/48 के मु0 नं0 14 व 20 की जमाबंदी प्रस्तुत की।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार श्रीकरणपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार :-

(1) चक 28 एफ के मु0 नं0 20 के किला नं0 1,2,3,4,5 प्रत्येक 0.019 हैक्टर कुल 0.095 हैक्टर नहरी रकबा के खातेदार प्रकाश कौर पत्नी सुखदेव सिह 0.038 हैक्टर एवं मनिन्द्र सिह पुत्र सुखदेव सिह 0.057 हैक्टर के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।

(2) मु0 नं0 20 के किला नं0 1 के 0.234 हैक्टर, किला नं0 2 के 0.233 हैक्टर, किला नं0 9 ता 12 के 1.012 हैक्टर कुल 1.479 हैक्टर नहरी प्रकाश कौर पत्नी सुखदेव सिह रहन बी.ओ.आी श्रीगंगानगर खातेदारी दर्ज है।

(3) मु0 नं0 20 के किला नं0 3,4,5 प्रत्येक 0.234 हैक्टर, किला नं0 6 ता 8 व 13 सालम किला नं0 14 के 0.240 हैक्टर कुल 1.954 हैक्टर नहरी (खाता संख्या 66) व मु0 नं0 20 के किला नं0 14/2 मे 0.013 हैक्टर, किला नं0 15,16,17,24,25 सालम व किला नं0 18/1 मे 0.202 हैक्टर कुल 1.480 हैक्टर नहरी (खाता संख्या 46) कुल रकबा 3.434 हैक्टर अमरजीत कौर पत्नी मनिन्द्र सिह 2.738 हैक्टर मनिन्द्र सिह पुत्र सुखदेव सिह 1.056 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।

प्रार्थीगण प्रत्येक किला नं0 1,2,3,4,5 मे दो-दो बिस्वा रास्ता सरकारी करवाना चाहते है। अतः क्रम संख्या 1 पर दर्ज 0.095 हैक्टर रकबा गैरमुमकिन रास्ता किया जाना प्रस्तावित है। क्रम संख्या 2 के खातेदार का किला नं0 1 व 2 प्रत्येक मे 0.006 हैक्टर गैरमुमकिन सरकारी रास्ता किया जाना प्रस्तावित है एवं क्रम संख्या 3 के खातेदारो का किला नं0 3 व 4 प्रत्येक मे 0.006 हैक्टर व किला नं0 5 मे से 0.007 हैक्टर गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है। मौके पर मु0 नं0 20 के किला नं0 1 ता 5 मे 16.5 फुट रास्ता चालू है उक्त रकबे बाबत किसी न्यायालय का स्थगन आदेश या विवाद नही है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थीगण यह रास्ता अपनी सहमति से सरकारी करवाना चाहते है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार प्रस्तावित

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

प्रकरण संख्या 3 /2019 अनवान मनिन्द्र सिह आदि बनाम
स्टेट आफ राजस्थान अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए

रास्ता का रकबा प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। मौका पर रास्ता चालू है। किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश या विवाद नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 28 एफ की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 66/63 के मु0 नं0 20 के किला नं0 1 ता 5 के प्रत्येक के 0.019 हैक्टर कुल 0.095 हैक्टर व मु0 नं0 20 के किला नं0 1 व 2 प्रत्येक मे 0.006 हैक्टर, किला नं0 3 ता 4 प्रत्येक मे 0.006 हैक्टर व किला नं0 5 मे 0.007 हैक्टर कुल 0.126 हैक्टर गैरमुमकिन सरकारी रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। यह रास्ता प्रार्थीगण अपनी सहमति से सरकारी करवा रहे है इस रास्ता के बदले राशि या भूमि देय नही होगी। आदेश इस आशय का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15/1/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[मुहर: उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) — सत्यमेव जयते]

{श्रीमति रीना छिम्पा आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner